राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट 18–19/पार्ट/ 13703-14263 दिनांक : 28/08/18

1. **अतिरिक्त महानिरीक्षक,**
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर
2. **समस्त उप महानिरीक्षक,**
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
3. **समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन)**
   राजस्थान।

विषय :– औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि के मूल्यांकन के संबंध में।

राज्य अधिसूचना कमांक एफ.4(4)वित/कर/2015–226 दिनांक 09.03.2015 द्वारा औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयुन्त की जा रही कृषि भूमि के संदर्भ में इस विषय पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं एवं इस विभाग द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों और परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राज्य के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें निम्नानुसार अवधारित की गई थी:–

औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भूमि की दरें– रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रायोजनो के लिये प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,–

(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होगी, और

(ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुना के समतुल्य होगी।

स्पष्टीकरण–

(i) ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई है, वहां औद्योगिक भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होगी।

(ii) उपर्युक्त दरें कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी लागू होगी।

(iii) पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

राज्य अधिसूचना कमांक एफ.5(18)एफ.डी./टैक्स/2015–22 दिनांक 08.06.2015 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु (ii) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:–

"(ii) equal to two times of the rates of agriculture land of that area in other cases but if such rates are more than the rates determined by RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by RICCO in that nearest RICCO Industrial Area."

उक्त संशोधन से स्पष्ट है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की दोगुना दर से किये जाने पर, यदि दर नजदीकी रीको क्षेत्र की औद्योगिक दर से अधिक होने पर, रीको औद्योगिक क्षेत्र की दर से अधिक नहीं होगी। कतिपय कुछ उप पंजीयकों द्वारा राज्य अधिसूचना दिनांक 08.06.2015 के संदर्भ में पालना नहीं की जा रही है। अतः औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन हेतु उक्त अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 व 08.06.2015 के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

(रेणू जयपाल)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन / बजट 18–19 / पार्ट / दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक, वित भवन, जनपथ, जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को, कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
4. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 08.06.2015 से किये गये संशोधन को विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
6. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

(रेणू जयपाल)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर